राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2715

11 दिसंबर, 2019 को उत्तर के लिए

इस्पात उद्योग के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए कदम

2715. डा॰ विकास महात्मेः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार वर्ष 2019 को ''विस्तार का वर्ष'' के रूप में देख रही है और क्या इस्पात उद्योग के कार्बन फुटप्रिंट को कम करना राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 के उद्देश्यों में से एक है;

(ख) यदि हां, तो इस बात पर विचार करते हुए कि देश में घरेलू इस्पात उत्पादन बढ़ रहा है, इस्पात उद्योग के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए अब तक उठाए गए कदमों सहित, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सतत् इस्पात उत्पादन को बढ़ावा देते हुए इस संबंध में क्या सफलता प्राप्त की गई है;

(घ) क्या सरकार का नया राष्ट्रीय इस्पात सुरक्षा बोर्ड बनाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं, और इसके क्या परिणाम रहे हैं?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क): इस्पात उद्योग के कार्बन फुटप्रिंट में कमी करना राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 का एक प्रमुख उद्देश्य है।

(ख) और (ग): इस्पात उद्योग एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है। इस्पात कंपनियाँ पिछले कई वर्षों से विस्तार एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रमों को चला रही हैं, जिसके माध्यम से वे आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपना रही हैं। उपलब्ध श्रेष्ठ प्रौद्योगिकियों को अपनाकर नए ग्रीनफील्ड इस्पात संयंत्रों को भी स्थापित किया गया है। भारतीय इस्पात उद्योग द्वारा किए गए इन सभी उपायों से ऊर्जा दक्षता में पर्याप्त सुधार हुआ है तथा ग्रीन हाऊस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी आई है।

जहाँ इस्पात कंपनियाँ प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण के माध्यम से संयंत्रों में ऊर्जा एवं पर्यावरणीय मामलों का स्वयं निपटान कर रही हैं और/अथवा संयंत्रों में ऊर्जा प्रभावी एवं पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों का प्रयोग कर रही हैं वहीं सरकार ने विभिन्न मंचों/उपायों के माध्यम से इस्पात संयंत्रों के ऊर्जा तथा पर्यावरण परिदृश्य में सुधार को सुकर बनाया है।

सरकार ने ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकियों के प्रयोग तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के सहयोग से छोटे इस्पात संयंत्रों में कार्बन फुटप्रिंट में कमी लाने में सहायता प्रदान की है।

(घ) और (ङ): जी, नहीं। इस्पात मंत्रालय ने इस क्षेत्र के लिए व्यापक, सामान्य तथा न्यूनतम सुरक्षा दिशा-निर्देशों को तैयार करने तथा इस्पात उद्योग द्वारा इन दिशा-निर्देशों को स्वैच्छिक रूप से अपनाए जाने के लिए स्टेक होल्डरों के साथ परामर्श किए हैं।

****